



मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत

(संस्था) मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.) India

(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक/स्था./राजभाषा/2023/ 469

दिनांक 23 / 03 / 2023

// परिपत्र //

भारत शासन की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में संस्थान की राजभाषा समिति की बैठक दिनांक 22.12.2022 के कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 03 के अनुसार एक आवरण पत्र का प्रारूप संलग्न है कृपया इसे उपयोग कर राजभाषा के प्रसार में सहयोग प्रदान करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

गोश्व विद्या
23/03/23
संयोजक, राजभाषा समिति

प्रतिलिपि:

1. समस्त सांकायाध्यक्ष।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. अनुभागीय अधिकारी।
4. डॉ. सविता दीक्षित, विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग एवं परामर्शदात्री राजभाषा समिति, मेनिए भोपाल।
5. प्रगारी, वेबसाइट अपलोड हेतु।
6. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
7. निज सहायक निदेशक, निदेशक महोदय को सूचनार्थ।



गौताना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत

(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.) India

(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

(कृपया पूर्ण रूप से हिन्दी में भरा जावे)

प्रति,

विषय : _____
_____ |

महोदय / महोदया

प्रेषक

दिनांक :

हस्ताक्षर _____

नाम _____

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

क्रमांक/ए.बी./2022/स्था./राजभाषा/116

दिनांक 23/01/2023

// कार्यवृत्त //

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थान हिन्दी राजभाषा समिति की दिनांक 22.12.2022 को बैठक हुई जिसमें 13 समिति सदस्य उपस्थित थे। समिति द्वारा की गई चर्चा में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष पर पहुंचा गया है जिन पर राजभाषा नीति के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है : -

1. संस्थान परिसर के मुख्य रास्ते (प्रवेश पथ) पर धूम्रपान निषेध का द्विभाषी बोर्ड लगवाना है।
2. मुख्य स्थानों पर "आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं" लिखित द्विभाषी बोर्ड लगवाना है।
3. कुछ प्रचलित प्रपत्र बनाना है जिसमें खाली स्थान की जगह रखी जाए जिसमें उपयुक्त जानकारी भरी जाएगी।
4. एल. टी. सी. ऑर्डर हिन्दी में किया जाना अनुसंशित है।
5. संस्थान में भविष्य में होने वाले सम्मेलन/संगोष्ठी (कॉन्फ्रेंस/सेमिनार) में बनने वाली पाठ्य सामाग्री जैसे बैनर, विवरणिका (ब्रॉशर) और ध्वज (फ्लेग्स) आदि द्विभाषी होने चाहिए।
6. ई-मेल पर भी हिन्दी की उपलब्धता का उपयोग करते हुए ई-मेल को भी हिन्दी में करने का प्रयास किया जाये।
7. संस्थान का राजभाषा नियम के अनुसार (क) क्षेत्र में होने के कारण संस्थान में पत्राचार एवं टिप्पणी लेखन आदि का कार्य 100 प्रतिशत हिन्दी भाषा में किया जाना होता है। संस्थान में इस नियम का पालन पूर्ण रूप से किये जाने की आवश्यकता है। अतः समिति अनुशंसा करती है कि पुनः सभी को निर्देशित किया जावे की समस्त विभागीय/अनुभागीय पत्राचार हिन्दी में करने का प्रयास करें एवं बाहर से आये अंग्रेजी के पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास करें।

गौरव द्विवेदी

हिन्दी

निरंतर....

संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभाग/शाखा प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित हिन्दी के कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन किया जा सके एवं की गई कार्य की जानकारी से संस्थान राजभाषा प्रकोष्ठ को भी प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे समय समय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जानकारी चाहे जाने पर उन्हें भी सूचित किया जा सके।

गौरव द्विवेदी

उप-कुलसचिव (स्था.)
संयोजक, राजभाषा

सविता

डॉ सविता दीक्षित,
विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग एवं
परामर्शदाता, राजभाषा

विनोद डोत्री

कुल-सचिव
उपाध्यक्ष राजभाषा

निदेशक

अध्यक्ष राजभाषा